रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2002

G.S.R. ... In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Governors (Emoluments, Allowances and Privileges) Act, 1982 (43 of 1982), the President hereby makes the following rules further to amend the Governors (Allowances and Privileges) Rules, 1987, namely :—

1. (1) These rules may be called the Governors (Allowances and Privileges) Amendment Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule I to the Governors (Allowances and Privileges) Rules, 1987, against Sl. No. 25 relating to Uttaranchal, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"The Government House at Dehradun and Nainital"	

[F. No. 7/2/2001-M&G]

SHARDA PRASAD, Jt. Secy.

Note :—The Principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 343(E) dated the 30th March, 1987 and were subsequently amended vide G.S.R. 553(E) dated 29th May, 1987; G.S.R. 70(E) dated 1st February, 1989; G.S.R. 673(E) dated 30th July, 1990; G.S.R. 64(E) dated 15th February, 1991; G.S.R. 949(E) dated 28th December, 1992; G.S.R. 275(E) dated 11th March, 1993; G.S.R. 708(E) dated 16th November, 1993; G.S.R. 475(E) dated 13rd May, 1994; G.S.R. 538(E) dated 29th July, 1995; G.S.R. 326(E) dated 17th June, 1997; G.S.R. 166(E) dated 1st April, 1999; G.S.R. 832(E) dated 23rd October, 2000 and G.S.R. 696(E) dated 26th September, 2001.

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 22, 2002/अग्रहायण 1, 1924
सं. 534] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 22, 2002/AGRAHAYANA 1, 1924
No. 534]

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2002

सा.का.नि. 781(अ).—राष्ट्रपति, राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 (1982 का 43) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) नियम, 1987 की अनुसूची 1 में, उत्तरांचल से संबंधित क्र. सं. 25 के सामने स्तंभ 2 के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात् :—

"देहरादून और नैनीताल स्थित राजभवन।"

[फा. सं. 7/2/2001-एम. एंड जी.]

शारदा प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि. 343(अ) दिनांक 30 मार्च, 1987 के तहत प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् इनको सा.का.नि. 553(अ) दिनांक 29 मई, 1987; सा.का.नि. 70(अ) दिनांक 1 फरवरी, 1989; सा.का.नि. 673(अ) दिनांक 30 जुलाई, 1990; सा.का.नि. 64(अ) दिनांक 15 फरवरी, 1991; सा.का.नि. 949(अ) दिनांक 28 दिसम्बर, 1992; सा.का.नि. 275(अ) दिनांक 11 मार्च, 1993; सा.का.नि. 708(अ) दिनांक 16 नवम्बर, 1993; सा.का.नि. 475(अ) दिनांक 13 मई, 1994; सा.का.नि. 538(अ) दिनांक 29 जुलाई, 1995; सा.का.नि. 326(अ) दिनांक 17 जून, 1997; सा.का.नि. 166(अ) दिनांक 1 अप्रैल, 1999; सा.का.नि. 832(अ) दिनांक 23 अक्तूबर, 2000 और सा.का.नि. 696(अ) दिनांक 26 सितम्बर, 2001 के द्वारा संशोधित किया गया था।